न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 05 / 2023
प्रविष्टि दिनांक 12.01.2023

जरिये धर्मचन्द अग्रवाल,प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

मै0 कृष्णा सर्विस सेन्टर मालपुरा रोड तहसील टोडारायसिंह
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 01 मोटर मय पाईप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेराकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी – स्वंय उपस्थित

निर्णय दिनांक 13.02.2023

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 28.12.2022 को प्रवर्तन अधिकारी बहमराह प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक टोंक द्वारा मै. कृष्णा सर्विस सेन्टर, मालपुरा रोड, तहसील टोडारायसिंह की दुकान पर अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना प्राप्त होने पर पहुचें।मौके पर अप्रार्थी की दुकान में 06 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं वाहनों में रिफिलिंग के काम में आने वाली मोटर मय रेगूलेटर पाईप के रखी होना पाई गई। मौके पर पाई गई मोटर का एक सिरा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर से जुड़ा हुआ था। घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर का अवैध रूप से मोटर से जोडा जाना, इससे स्पष्ट है कि वहाँ पर उक्त सिलेण्डर के माध्यम से अवैध रिफिलिंग का कार्य हो रहा था।।उक्त कृत्य एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 का स्पष्ट उल्लघंन होने के कारण उक्त 06 घरेलू गैस सिलेण्डर मय पाईप मौके पर कब्जेराज लिया जाकर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.	एस.आर.	कम्पनी का	मानक भार	खाली	सिलेण्डर	शुद्व गैस

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

स.	नम्बर	नाम		सिलेण्डर वजन	का वजन तौलने पर	
01	04427	(IOCL)	14.2	15.7	15.7	0
02	984694-T	(IOCL)	14.2	15.9	30.1	14.2
03	47147	(IOCL)	14.2	16.4	30.6	14.2
04	562620	(IOCL)	14.2	16.0	30.8	14.8
05	270	(IOCL)	14.2	15.6	30.0	14.4
06	270206	(IOCL)	14.2	15.9	30.1	14.2
						71.8

इस प्रकार घरेलू गैस सिलण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है।उक्त जब्तशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 71.8 एलपीजी गैस, 01 मोटर मय पाईप को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 28.12.2022 को प्रवर्तन अधिकारी बहमराह प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक टोंक द्वारा मै. कृष्णा सर्विस सेन्टर, मालपुरा रोड, तहसील टोडारायसिंह की दुकान पर अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना प्राप्त होने पर पहुचें।मौके पर अप्रार्थी की दुकान में 06 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं वाहनों में रिफिलिंग के काम में आने वाली मोटर मय रेगूलेटर पाईप के रखी होना पाई गई। मौके पर पाई गई मोटर का एक सिरा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर से जुड़ा हुआ था। घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर का अवैध रूप से मोटर से जोडा जाना, इससे स्पष्ट है कि वहाँ पर उक्त सिलेण्डर के माध्यम से अवैध रिफिलिंग का कार्य हो रहा था।उक्त कृत्य एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 का स्पष्ट उल्लघंन होने के कारण उक्त 06 घरेलू गैस सिलेण्डर मय पाईप मौके पर कब्जेराज लिया जाकर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई।इस प्रकार घरेलू गैस सिलण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। इस कारण उपरोक्त 06 घरेलू गैस सिलेण्डरों व मोटर को जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु मै०टोडारायसिंह गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री रतन लाल जाट निवासी टोडारायसिंह की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि

कलेक्टर सत्यमेव जयते (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

जब भी जहॉं भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है।उक्त जब्तशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 71.8 एलपीजी गैस, 01 मोटर मय पाईप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 28.12.2022 के अनुसार मै0 कृष्णा सर्विस सेन्टर मालपुरा रोड तहसील टोडारायसिंह की दुकान का निरीक्षण करने पर अवैध रूप से वाहनो मे रिफिलिंग के कार्ये में प्रयुक्त किया जा रहे उक्त 6 सिलेण्डर मय पाईप व मोटर सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
01	04427	(IOCL)	14.2	15.7	15.7	0
02	984694-T	(IOCL)	14.2	15.9	30.1	14.2
03	47147	(IOCL)	14.2	16.4	30.6	14.2
04	562620	(IOCL)	14.2	16.0	30.8	14.8
05	270	(IOCL)	14.2	15.6	30.0	14.4
06	270206	(IOCL)	14.2	15.9	30.1	14.2
						71.8

जांच करने पर दुकान/गोदाम मे मौके पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर लोकेश सैनी,बाबूलाल व रतन लाल जाट के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी लोकेश सैनी,बाबूलाल व रतनलाल जाट के हस्ताक्षर है। मै. टोडारायसिंह गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री रतनलाल जाट को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

जिला कलेक्टर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व वाहनो मे रिफिलिंग के कार्य में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 6 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 71.8 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते